भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 3025
गुरुवार, 6 अगस्त, 2026/15 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

छत्तीसगढ़ में विमानपत्तन का निर्माण

3025. श्री विजय बघेल:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को छत्तीसगढ़ में दुर्ग-भिलाई क्षेत्र में बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिक कार्यकलापों और यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उक्त क्षेत्र के समीप एक नए नागरिक विमानपत्तन के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव या मांग प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार ने दुर्ग-भिलाई क्षेत्र में एक नया विमानपत्तन स्थापित करने के लिए कोई सर्वेक्षण या व्यवहार्यता अध्ययन कराने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में निर्धारित प्रस्तावित समय-सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (घ): ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा (जीएफए) नीति, 2008 के अनुसार, हवाईअड्डा विकासकर्ता को एक उपयुक्त स्थल की पहचान करने और व्यवहार्यता-पूर्व अध्ययन कराने और 'साइट क्लीयरेंस' के लिए केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, जिसके बाद ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा विकास के लिए 'सैद्धांतिक' मंजूरी प्रदान की जाती है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग-भिलाई क्षेत्र में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के विकास के लिए साइट-मंजूरी के अनुरोध का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।
